

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] No. 305]

(1)

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2017/माघ 13, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2017/MAGHA 13, 1938

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

का.आ. 338(अ).—केंद्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

(1)	साचव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम मत्रालय	-अध्यक्ष, पदेन
(2)	सचिव, भारत सरकार या	
	संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का	सदस्य, पदेन
	उसका प्रतिनिधि, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	
(3)	सचिव, भारत सरकार या	

सचिव, भारत सरकार, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

- (3) सचिव, भारत सरकार या
 संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का सदस्य, पदेन
 उसका प्रतिनिधि, श्रम और रोजगार मंत्रालय
- (4) संयुक्त सचिव, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सदस्य, पदेन कृषि और ग्रामीण उद्योग के कार्य से संबंधित हों
- (5) संयुक्त सचिव, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सदस्य, पदेन लघु एवं मध्यम उद्यम के कार्य से संबंधित हों

569 GI/2017 (1)

(0)		
(6)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के	सदस्य, पदेन
	वित्तीय सलाहकार	
(7)	प्रधान सचिव या सचिव, राजस्थान सरकार,	
	जो लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों	सदस्य, पदेन
	के कार्य से संबंधित हों	
(8)	प्रधान सचिव या सचिव, बिहार सरकार,	
	जो लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों	सदस्य, पदेन
	के कार्य से संबंधित हों	
(9)	प्रधान सचिव या सचिव, महाराष्ट्र सरकार,	सदस्य, पदेन
	लघु उद्योग या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कार्य से संबंधित हों	
(10)	लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधि	
	1ई/11, स्वामी रामतीर्थ नगर,	,,,,, ,,,,
	झंडेवालान एक्सटेंशन	सदस्य, पदेन
	नई दिल्ली-110055	
(11)	इंडिया एसएमई फोरम के प्रतिनिधि	
	404, दुर्गा चेम्बर्स, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट,	सदस्य, पदेन
	वीरा देसाई रोड, अंधेरी(पश्चिम), मुंबई-400053	
(12)	फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्माल एंड	
	मीडियमश इंटरप्राइजेज (एफआईएसएमई) के प्रतिनिधि,	सदस्य, पदेन
	बी-4/161, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029	
(13)	अपर सचिव, भारत सरकार और	
	विकास आयुक्त (सूक्ष्म , लघु और मध्यम	–सदस्य, सचिव
	उद्यम), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	

[फा. सं. 2/3(3)/2016-एमएसएमई नीति]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव/विकास आयुक्त (एमएसएमई)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATIONNew Delhi, the 27th January, 2017

S.O. 338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee, for a period of two years from the date of publication of this notification, consisting of the following members, namely:—

Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
 Secretary to the Government of India or his representative not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
 Secretary to the Government of India or his representative not below the rank of Joint Secretary in the Ministry of Labour and Employment

Member, ex officio
Member, ex officio
Member, ex officio

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

(4) Joint Secretary dealing with Agro and Rural Industry Member, ex officio in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (5) Joint Secretary dealing with Small and Medium Enterprises Member, ex officio in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (6) Financial Advisor Member, ex officio in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (7) Principal Secretary or Secretary to the Government of Rajasthan, dealing with Small Scale Industries or Micro, Small and Medium Member, ex officio Enterprises (8) Principal Secretary or Secretary to the Government of Bihar, dealing Member, ex officio with Small Scale Industries or Micro, Small and Medium Enterprises (9) Principal Secretary or Secretary to the Government of Maharashtra, dealing with Small Scale Industries or Micro, Small and Medium Member, ex officio Enterprises. (10) Representative of Laghu Udyog Bharati, 1E/11, Swami Ramtirth Nagar, Member, ex officio **Thandewalan Extension** New Delhi-110055 (11) Representative of India SME Forum Member, ex officio 404, Durga Chambers, Veera Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai - 400053 (12) Representative of Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises Member, ex officio (FISME), B-4/161, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 (13)Additional Secretary to the Government of India and Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises) in the Member Secretary Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

[F. No. 2/3(3)/2016-MSME Pol.]

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy., Development Commissioner (MSME)